रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 343] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 1983/भाद्र 24, 1905
No. 343] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 1983/BHADRA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### वित्त मंत्रालय
### (वित्तीय कार्य विभाग)
### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1983

सा.का.नि. 706(अ).—लोक ऋण नियम, 1946 में और संशोधन करने के लिए, उन कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार का लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव है, एतद्द्वारा उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए जिनके इनके द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि उक्त उप-धारा (1) के अनुसार अपेक्षित है, और एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदे पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

यदि विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदे के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त होगा तो केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी ।

### नियमों का प्रारूप

1. (1) ये नियम लोक ऋण (संशोधन) नियम, 1983 कहे जाएंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. लोक ऋण नियम, 1946 में नियम 7-घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"7-ङ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों के सम्बन्ध में नामांकन.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54-ङ की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (ग) को उप-खण्ड (3) के अन्तर्गत जारी किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास

बांडों (दूसरा निर्गम) के सम्बन्ध में यथास्थिति नामांकन, रद्दकरण या परिवर्तन के मामले में, नियम 7-क* और 7-ख** के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

[संख्या एफ 5(21)-पी. डी./83]

ए. रंगाचारी, संयुक्त सचिव (बजट)

*वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 30 जुलाई, 1960 की अधिसूचना संख्या 13(30) (1)-एन. एस./59 के अनुसार ।

**वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 13 जनवरी, 1966 की अधिसूचना संख्या सा का. नि. 109 के अनुसार ।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1983

G.S.R. 706(E).—The following draft of certain rules further to amend the Public Debt Rules, 1946, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), is hereby published as required by sub-section (1) of that section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of thirty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

## DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Debt Rules, 1946, after rule 7-D, the following rule shall be inserted, namely :—

"7E. Nominations in respect of National Rural Development Bonds.—The provisions of rules 7A* and 7B** shall apply mutatis mutandis in relation to the nomination, cancellation or variation, as the case may be, in respect of National Rural Development Bonds (Second Issue) issued under sub-clause (iii) of clause (c) of Explanation I to sub-section (1) of section 54E of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)."

[No. F. 5(21)-PD|83]

A. RANGACHARI, Jt. Secy. (Budget)

*Vide Min. of Fin. (D.E.A.) Notification No. 13(30)(i) NS|59, 30-7-1960.

**Vide Min. of Fin. (D.E.A.) Notification No. G.S.R. 109, dated 13-1-1966.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983